

न्यायालय: अपर जिला जज प्रथम, हापुड़।
उपस्थित:- हनी गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP2408)
Civil Appeal No.- 118/2017
इकबाल आदि बनाम महमूद अली आदि।

आदेश

दिनांक:- 07.05.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र 133 क अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सी०पी०सी० दिनांकित 29.04.2025 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त सिविल अपील में अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सी०पी०सी० दिनांक 08.11.2024 को प्रस्तुत किया है। दौराने सुनवाई उक्त प्रार्थना पत्र में रैस्पोंडेंट सं०- 1/1 हसीना बेगम का दिनांक 26.10.2025 को देहान्त हो गया है। उक्त अपील के सही एवं न्यायपूर्ण निस्तारण के लिये उक्त प्रार्थना पत्र 127 क में निम्न संशोधन किया जाना अति आवश्यक है। वांछित संशोधन- अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र 127 क दिनांकित 08.11.2024 में रैस्पोंडेंट सं०- 1/1 के नाम व पते के आगे "मृतक दौराने अपील" तहरीर किया जावे।

अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर रैस्पोंडेंट की ओर से कोई आपत्ति न होने का मौखिक कथन किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत सिविल अपील में रैस्पोंडेंट संख्या- 1/1 हसीना बेगम की मृत्यु हो चुकी है, अतः प्रस्तुत सिविल अपील में रैस्पोंडेंट संख्या- 1/1 के नाम व पते के आगे मृतक दौराने अपील तहरीर किया जाए। रैस्पोंडेंट की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति न होने का अंकन किया गया है। न्यायहित में प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। तदनुसार अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 133 क अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सी०पी०सी० दिनांकित 29.04.2025 स्वीकार जाता है। वांछित संशोधन नियमानुसार अग्रिम नियत दिनांक तक किया जाये।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक2026 को पेश हो।

दिनांक:- 07.05.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code-UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।